| | | |
|---|---|---|
| 26/5/25 | पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। पत्रावली निर्णय-शामिल किया गया। नंबर से कम हो।<br>निर्णय सुनाया गया।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सूरतगढ़ (राज.) | GCMS<br>2014/000256 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.28 18:12:15 IST
Reason: SelfAttested

**न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

**पीठासीन अधिकारी : संदीप कुमार, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या : 243**/2014 (GCMS:-2014/00256) **दायर दिनांक : 09.12.2014**

1. मु. पार्वती पुत्री श्री चानणराम धर्म पत्नी दलीपराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 3 नई खुंजा हनुमानगढ़ ज. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. मु. रामप्यारी पुत्री श्री चानणराम धर्म पत्नी श्री दयाराम जाति कुम्हार निवासी ताखर कॉलोनी हनुमानगढ़ ज. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

**......प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. चानणराम पुत्र श्री लच्छूराम जाति कुम्हार निवासी चक 24 पी.बी.एन.सी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज।

1/1. कानाराम
1/2. रामप्रताप
1/3. हेतराम
} पिसरान चानणराम अकवाम कुम्हार निवासी चक 24 पी.बी.एन.सी. पो.ओ. संघर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

1/4. जैता पुत्री श्री चानणराम धर्मपत्नी श्री सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी कलरखेड़ा तहसील अबोहर पंजाब।

1/5. संतरो पुत्री श्री चानणराम धर्मपत्नी श्री रतीराम जाति कुम्हार निवासी चक संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. उपपंजीयक साहब, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

**....अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. 1955**

उपस्थितः

1. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण सं. 1 वा 2
2. श्री राजवीर भादू, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1/1
3. श्री सुरेन्द्र सुथार, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1/2 व 1/3

**निर्णय** **दिनांक : २८ .05.2025**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई, पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित है पत्रावली का अवलोकन किया, विचारण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा एक वाद वास्ते घोषणा एवं खाता विभाजन का इस आश्य का पेश किया कि अप्रार्थी सं. 1 चानणराम के नाम से वाके चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 के खाता सं. 53 नया 50 पुराना के प.न. 24/326 के कि.न. 16 ता 25 = 2.530 है. प.न. 24/327 के कि.न. [illegible] ता 25 = 6.325 है. कुल 8.855 है. नहरी मय खाला में से 4.427 [illegible] 1/3 हिस्सा यानि 1.476 है. व चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 के खाता सं. 35 नया 33 पुराना के प.न. 24/327 के कि.न. 19 ता 25 = 1.771 है. नहरी मय खाला में से 1/3 हिस्सा यानि 0.590 है. एवं चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.28 18:12:15 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज 2 पर.......

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सं. 77 नया 72 पुराना के प.न. 23/327 के कि.न. 1 ता 25 = 6.325 है. व प.न. 27/328 के कि.न. 1 ता 25 = 6.325 है. कुल 12.650 है. नहरी अ.क.बा. मय खाला मय रास्ता में से 1/3 हिस्सा यानि 4.216 है. एवं चक 14 एस.टी.बी.बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 18 नया 16 पुराना के कि.न. 33/320 के कि.न. 16 ता 18/0.759 है. 19/1 में 0.084 है., 21 ता 25/1.265 है. = 2.108 है. नहरी मय खाला, अर्थात उक्त चारों खातों में चानणराम के नाम अंकित कुल 8.390 है. भूमि दर्ज कागजात राज है। उक्त भूमि में से जमाबंदी चक 13 एस.टी.बी. सम्वत 2067 ता 70 खाता सं. 53/50 में 8.855 है. नहरी भूमि में 4.427 है. में से 1/3 हिस्सा अर्थात 1.476 है. भूमि प्रत्यक्षतः चानणराम को अपने पिता से बतौर वारिस हिन्दु सहदायी सदस्य होने के कारण प्राप्त हुई है शेष भूमि इस सहदायी सम्पत्ति की आय व पैतृक भूमि के विक्रय से ही खरीद की गई है। वादी एवं प्रतिवादी का परिवार हिन्दु सहदायीकि की मिताश्ररा विधि से अधिशासित होते है जिसमें वादीगण प्रत्येक 1/8 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है यह सहदायी सम्पत्ति कुल 8.390 है. है जिसमें वादीगण का 2/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर का हक वा हिस्सा बनता है जिसकी घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 वास्ते स्थगन बाबत वादग्रस्त सम्पत्ति की यथास्थिति बनाये रखने व हस्तांतरण न करने हेतू पाबंद करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र पर इकतरफा सुनवाई कर दिनांक 09.12.2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण जारी की गई एवं अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं 1/1 कि ओर राजवीर भादू व 1/2 ता 1/3 कि ओर से सुरेन्द्र सुथार अभिभाषक उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं. 1/4, 1/5 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण सं. 1/1, 1/2, 1/3 ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया उनका जवाब बंद कर तर्क सुने गये।

अभिभाषक प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण का कोई जवाब नहीं आया है ना ही उन्होंनें स्थगन निरस्त करने की प्रार्थना लिखित रूप से की है। मुताबिक जमाबंदी चक 13 एस.टी.बी. सम्वत् 2067 ता 70 खाता सं. 53/50 में अंकित 8.855 है. भूमि में से 4.427 है. भूमि चानणराम को लच्छूराम के वारिस के रूप में प्राप्त हुई है यह [illegible] सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा चानणराम के नाम से अंकित [illegible] भी लच्छूराम के पुत्रों के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है यह भी [illegible] से सहदायी माने जाने योग्य है। चानणराम के नाम से अंकित अ[illegible] भूमि भी परिवार सांझा होने से सांझी सम्पत्ति की अवधारणा जुडी हुई है प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप

क्रमशः पेज 3 पर......

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.28 18:42:15 IST
Reason: SelfAttested

से मामला बनता है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीण के पक्ष में है भूमि हस्तांतरण होने पर वाद में कानूनी पेचिदगियॉ बढ़ेगी इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 09.12.2014 को पारित आदेश स्थगन को ताफैसला वाद निर्णय करने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थीगण द्वारा तर्क दिया कि वाद ग्रस्त भूमि की वसीयत चानणराम द्वारा कर दी गई है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण फलरहित हो चुका है। चानणराम की मृत्यु हो चुकी है और चानणराम द्वारा अपने नाम की भूमि पुत्रों को वसीयत कर दी गई है भूमि सहदायी नहीं है चानणराम स्वयं पैदा कर्दा है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद पूर्ण पत्रावली का तर्को के परिपेक्ष्य में एकाग्रचित्त होकर पठन व मनन किया गया एवं पाया कि प्रार्थीगण के शपथ पत्र का प्रति शपथ पत्र अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है इससे प्रार्थीगण का शपथ पत्र स्वीकृति योग्य है, द्वितीय दस्तावेजी साक्ष्य से चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की 4.427 है. भूमि में 1/3 हिस्सा स्पष्ट रूप से चानणराम को पैतृक प्राप्त हुई यह सिद्ध है इसके अलावा चक 13 एस.टी.बी. की 1.7710 है. व इसी चक की 12.650 है. में 1/3 हिस्सा भी विरास्तन प्राप्त होना प्राथमिक रूप से प्रतीत होता है यह तमाम भूमि सहदायी है या नहीं यह प्रश्न विचारणीय है जो मूल वाद में निर्णय होना है, प्रार्थीगण के शपथ पत्र का प्रति शपथ पत्र ना आने के कारण प्राथमिक रूप से भूमि सहदायी होना माने जाने योग्य है। अंतिम विचारण मूल वाद में होना लम्बित है इसलिए जब तक मूल वाद का निर्णय ना हो वाद ग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे जाना अति आवश्यक प्रतीत होता है इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण न. 1/1 व 1/2 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि चानण राम ने मृत्यु पूर्व एक वसीयत करके भूमि का हस्तांतरण कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. निरस्ती योग्य है, प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की है। इस मामले में यह प्रतीत होता है कि स्थगन के दिन दिनांक 09.12.2014 को चानणराम जीवित था और स्थगन की अवहेलना करते हुए ही उन्होनें वसीयत की है जो कि कतई गलत वा कानून की नजर में अप्रभावी मानी जाने योग्य है क्योंकि प्रश्नगत सम्पत्ति विवादित हो चुकी थी और इसका अंतिम निस्तारण होना था एवं इसका इस्तांतरण धारा 52 भूमि हस्तांतरण अधिनियम के विपरीत है व किसी सीमा तक अदालत की अवमानना में भी आता है। इस परिस्थिति में अधिक पेचिदगियॉ ना बढ़े इसलिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 के खाता सं. 53 नया 50 पुराना के प.न.

क्रमशः पेज 4 पर......

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.28 18:12:15 IST
Reason: SelfAttested

24/326 के कि.न. 16 ता 25 = 2.530 है. प.न. 24/327 के कि.न. 1 ता 25 = 6.325 है. कुल 8.855 है. नहरी मय खाला में से 4.427 है. में से 1/3 हिस्सा यानि 1.476 है. व चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता सं. 35 नया 33 पुराना के प.न. 25/327 के कि.न. 19 ता 25 = 1.771 है. नहरी मय खाला में से 1/3 हिस्सा यानि 0.590 है. एवं चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता सं. 77 नया 72 पुराना के प.न. 23/327 के कि.न. 1 ता 25 = 6.325 है. व प.न. 27/328 के कि.न. 1 ता 25 = 6.325 है. कुल 12.650 है. नहरी अ.क.बा. मय खाला मय रास्ता में से 1/3 हिस्सा यानि 4.216 है. एवं चक 14 एस.टी.बी.बी. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 18 नया 16 पुराना के कि.न. 33/320 के कि.न. 16 ता 18/0.759 है. 19/1 में 0.084 है., 21 ता 25/1.265 है. = 2.108 है. नहरी मय खाला, अर्थात चानणराम की कुल भूमि 8.390 है. में 2/8 हिस्सा जो प्रार्थीगण का सम्भावित हिस्सा बनता है मौका वा रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद बनायी रखी जावें।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया, पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.28 18:12:15 IST
Reason: SelfAttested